न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 15 / 2026

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन अधिकारी, सिरोही जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

श्री प्रकाश लाल माली पुत्र श्री बाबूलाल निवासी गोयली तहसील व जिला सिरोही प्रो. अर्बुदा रेस्टोरेन्ट गोयली चौराहा, सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. सहायक अभियोजन अधिकारी, सिरोही, प्रार्थी की ओर।
2. अधिवक्ता श्री प्रकाश माली, अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय **दिनांक 14.05.2026**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 23.02.2026 को श्री विनोद परमार, प्रवर्तन अधिकारी सिरोही द्वारा अर्बुदा रेस्टोरेन्ट गोयली चौराहा, सिरोही की आकस्मिक जांच करने पहुंचने पर वहां पर एक घरेलू सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी के साथ जुडे हुए पाए गए। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ करने से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया था।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश माली द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जबाव प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। अतः प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी सिरोही एवं अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 23.02.2026 को श्री विनोद परमार, प्रवर्तन अधिकारी सिरोही द्वारा अर्बुदा रेस्टोरेन्ट गोयली चौराहा, सिरोही की आकस्मिक जांच करने पहुंचने पर वहां पर एक घरेलू सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी के साथ जुडा हुआ पाया गया, जिनका उपयोग प्रतिष्ठान पर खाना बनाने (व्यावसायिक) का कार्य किया जा रहा था। इस प्रकार मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ करने से अप्रार्थी द्वारा केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3 / 2 का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु

जिला कलक्टर, सिरोही

.....पेज नं. 02

अधिनियम, 1955 के तहत अपराध होने से निरीक्षण दल द्वारा उक्त एक घरेलू गैस सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया गया है। अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया जावे।

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश माली द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि अप्रार्थी के रिश्तेदार के घर घरेलू सिलेण्डर खाली होने से अप्रार्थी के रेस्टोरेन्ट पर रखा था, जिसमें गैस चैक करने के लिए उसे केवल मात्र चालू करके देख रहे थे, परन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त सिलेण्डर को व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बताकर गलत रूप से जब्त किया गया है। अप्रार्थी ने ऐसा कोई अपराध जानबूझकर नहीं किया है। अप्रार्थी की अनुपस्थिति में कार्मिक ने अपने परिवार के सदस्य को टंकी में गैस है, यह बताने के लिए अर्थात सिलेण्डर में गैस चैक करने के लिए लगाया था, जिसमें उनकी कोई बदनियती नहीं रही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमाकर जब्तशुदा सिलेण्डर को लौटाए जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण में उभय पक्ष की सुनी गई बहस एवं न्यायालय पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी द्वारा एक 14.2 किग्रा. घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ व्यवसाय में किया जाने से केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है। मौके पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान की जांच करने पर एक घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग प्रतिष्ठान पर खाना इत्यादि बनाने का कार्य व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डर का प्रतिष्ठान पर खाना इत्यादि बनाने का कार्य किया जाना वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी से उक्त सिलेण्डर के बारे में पूछा तो अप्रार्थी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाने से निरीक्षण दल द्वारा उक्त सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया गया है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थी के रिश्तेदार के घर घरेलू सिलेण्डर खाली होने से अप्रार्थी के रेस्टोरेन्ट पर रखा था, जिसमें गैस चैक करने के लिए उसे केवल मात्र चालू करके देख रहे थे, परन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त सिलेण्डर को व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बताकर गलत रूप से जब्त किया गया है। इस सम्बन्ध में मौके की फर्द अभिग्रहण के अवलोकन से यह पाया जाता है कि कब्जे सरकार लिया गया सिलेण्डर रेस्टोरेन्ट पर खाना इत्यादि बनाने के कार्य में लिया जा रहा था एवं अप्राथी द्वारा परिसर को खाना इत्यादि बनाने के उपयोग में लिया जा रहा था, जो कि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ की श्रेणी में आता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि रेस्टोरेन्ट में रखी हुई सामग्री भी व्यावसायिक प्रयोजनार्थ ही काम में ली जा रही थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिए गए गैस सिलेण्डर की गैस डायरी भी प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह साबित हो कि उक्त घरेलू सिलेण्डर अप्रार्थी के रिश्तेदार के थे। चूंकि कब्जे सरकार लिया गया सिलेण्डर घरेलू उपयोग में लिया जाता है परन्तु अर्बुदा रेस्टोरेन्ट गोयली चौराहा, सिरोही के पास घरेलू गैस सिलेण्डर पाए जाना एवं उस पर वक्त निरीक्षण खाना बनाने का कार्य किए जाने से स्पष्ट है कि उक्त गैस सिलेण्डर का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ही किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अनाधिकृत रूप से

जिला कलेक्टर, सिरोही

.....पेज नं. 03

किया जाने से केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिए गए एक घरेलू गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया जाना उचित प्रतीत होने से कब्जे सरकार लिये गये एक घरेलू गैस सिलेण्डर को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिए गए एक घरेलू गैस सिलेण्डर में भरी हुई गैस को नियमानुसार निर्धारित दर पर बेचान कर खाली सिलेण्डर सम्बन्धित गैस कम्पनी को सुपुर्द कर प्राप्त राशि राजकोष के उचित लेखा मद में जमा कराने की कार्यवाही करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, सिरोही